अध्याय 8: वासभूमि स्थलों की योजना

इं.आ.यो. के भाग के रूप में उन ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी और न ही निवास स्थल था, को वासभूमि स्थल प्रदान करने हेतु एक योजना अगस्त 2009 में प्रारम्भ की गई थी।

8.1 वासभूमि स्थलों की योजना का कार्यान्वयन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (X) के अनुसार, निधियों की प्रथम किश्त को केवल राज्यों द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के पश्चात ही जारी किया जाना था कि इसके पास (1) ग्रामीण ग.रे.नी. को या तो (क) नियमितिकरण के माध्यम से या (ख) अंतरण के माध्यम से प्रदान करने हेतु कोई भूमि नहीं थी (2) उसने अधिग्रहण/खरीद हेतु भूमि की पहचान कर ली थी। अनुवर्ती किश्तो को राज्य द्वारा पहचान की गई भूमि के अधिग्रहण के पश्चात जारी किया जाना था। इसके अतिरिक्त इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (vi) के अनुसार ₹10,000 प्रति लाभार्थी अथवा वास्तविक कीमत जो भी कम हो को लगभग 100.250 वर्ग.मी. क्षेत्र के वासभूमि स्थल की खरीद/अधिग्रहण हेतु प्रदान किया जाएगा। निधीयन, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में बांटा जाना था जबकि सं.शा.क्षे. के मामले में यह केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रुप से वित्तपोषित था। यदि प्रति लाभार्थी राशि कम पड़ती है तो शेष राशि को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

8.1.1 वासभूमि स्थलों हेतु योजना का गैर-कार्यान्वयन

2009-13 के दौरान, वासभूमि स्थल की योजना 17 राज्यों/सं.शा.क्षे अर्थात **असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंण्ड, पंजाब, तमिलनाडू, उतराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप** में कार्यान्वित नहीं की गई थी।

हमने पाया कि पांच राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. (असम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उतराखण्ड तथा अ. एवं नि. द्वीपसमूह) में कुछ चयनित जिलों ने वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत भूमि की खरीद हेतु प्रस्ताव प्रारम्भ किए थे परंतु प्रस्तावों को लाभदायक नहीं बनाया जा सका। राज्य-वार अभ्युक्तियों पर अनुबंध- 8.1 में चर्चा की गई हैं।

8.1.2 वासभूमि स्थलों हेतु योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

Xiवीं पंयवर्षीय योजना (प.व.यो) दस्तावेज के अनुसार एक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों में से एक '2012 तक सभी को वासभूमि स्थल प्रदान करना' था। 58 वें तथा 59 वें दोर की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (रा.न.स.सं.) प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, देश में 77 लाख ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवार थे जिनके पास घरों के निर्माण हेतु निवास स्थल नहीं थे। 2012 तक सभी को वासभूमि स्थल प्रदान करने के भा.स द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 77 लाख परिवारों की 75 प्रतिशत की अनुमानित आवश्यकता को राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा अधिकृत भूमि, यदि कोई हो, को नियमित करके अथवा अतिरिक्त सरकारी भूमि का आवंटन करके पूरा किया जाना था। इस प्रकार, शेष 25 प्रतिशत (₹ 19.25 लाख) अनुमानित परिवारों, जिनके पास निवास स्थल नहीं है, हेतु भूमि की खरीद/अधिग्रहण की आवश्यकता थी।

इस उदेश्य हेतु, 11वीं पं.व.यो. हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन ₹ 1,000 करोड़ (2009-10 हेतु ₹ 200 करोड़, 2010-11 हेतु ₹ 300 करोड़ तथा 2011-12 हेतु ₹ 500 करोड़) था।

(i) ₹ 1,000 करोड़ के प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन के प्रति मत्रांलय को राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावो के आधार पर नौ राज्यों को ₹ 347.47 करोड़ (2009-10 के दौरान बिहार, कर्नाटक, केरल, राजस्थान एवं सिक्किम को ₹ 157.47 करोड़ तथा 2010-11 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उतर प्रदेश को ₹ 190 करोड़) जारी किए गए थे। किसी भी राज्य को 2011-12 तथा

2012-13 के दौरान निधियां जारी नहीं की गई थी। राज्य-वार निर्गम अनुबंध 8.2 में दिए गए है।

(ii) मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को इन राज्यों द्वारा भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित किए बिना एक किश्त में निधियां जारी की तथा निधियों का उपयोग या तो नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से उपयोग किया गया था। अप्रयुक्त वासभूमि निधियों को बाद में नियमित इं.आ.यो. के प्रति समायोजित किया गया था तथा निधियों के विपथन के उदाहरण भी पाए गए थे। राज्य-वार विवरण अनुबंध 8.3 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन ग.रे.नी. के परिवार[1] योजना के लाभों से वंचित थे।

मत्रांलय ने बताया कि वासभूमि योजना, एक मांग संचालित योजना थी तथा योजना के अंतर्गत निधियां केवल उन राज्यो को जारी की गई थी, जिन्होने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों सहित इस सबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसकी मांग की थी। मत्रांलय ने यह भी बताया कि राज्यों द्वारा उस दर, जिस पर निधियां प्रदान की गई थी, पर भूमि न खरीदे जाने के मामले में, उन्होंने जारी की गई राशि का नियमित इं.आ.यो. आवंटन के प्रति समायोजन करने हेतु अनुवर्ती अनुरोध किया था।

मंत्रालय का उत्तर केवल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सिद्ध करता है तथा वासभूमि स्थल योजना की विफलता के मामले का निदान नहीं करता है।

---

[1] राजस्थान के आठ चयनित जिलों मे से केवल पांच जिलो (बूंदी, भीलवाड़ा, सीकर, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर) में 2,10,770 भूमिहीन ग.रे.नी. के परिवार थे।

8.2 वासभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त घरों हेतु प्रोत्साहन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 (xii) के अनुसार, राज्य सरकारों को भूमि के नियमितीकरण अथवा खरीद/अधिग्रहण के माध्यम से लाभार्थियो को वासभूमि स्थल प्रदान किए जाने की सीमा तक इं.आ.यो. के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों का आवंटन करके प्रोत्साहित किया जाना था। राज्यों को प्रस्तावित योजना हेतु इसी प्रकार की पहल हेतु अपने वर्तमान बजट से अधिक निधियां प्रदान करना प्रत्याशित था। यह, इस शर्त के तहत भी था कि राज्य योजना हेतु एक राशि, जो उनके पिछले वर्ष के बजट से कम न हो, का आवंटन करना जारी रखेंगें। खरीद के माध्यम से भूमि आंवटित किए गए ग.रे.नी. के परिवार को, सभांवित सीमा तक, उसी वर्ष में गृह निर्माण सहायता प्रदान की जानी थी।

छत्तीसगंढ, गुजरात, झारखण्ड़, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपूरा तथा पश्चिम बंगाल (10 राज्यों) को 2009-13 के दौरान वासभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त घरो हेतु प्रोत्साहन के रूप में ₹ 1,750.92 करोड़ जारी किए गए थे। राज्य-वार निर्गम अनुबंध 8.4 में दिए गए हैं।

8.2.1 अतिरिक्त घरो के निर्माण में अनियमितताएँ

हमने पाया कि वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत अतिरिक्त घरों के निर्माण हेतु सात राज्यों को निधियां जारी की गई थीं जो अप्रयुक्त रहीं थी अथवा उसका नियमित इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियो, जिनके पास भूमि थी, के घरों के निर्माण के प्रति विपथित किया गया था जैसा **तालिका-14** में विवरण दिया गया है।

तालिका-14: अतिरिक्त घरों के निर्माण में अनियमितताएं

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	विकास आयुक्त, रायपुर के आदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार, इं.आ.यो. वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत सहायता उन ग.रे.नी. भूमिहीन परिवारों जिन्होने बन अधिकार अधिनियम (बनपट्टा घारक) के अंतर्गत भूमि प्राप्त की थी, को प्रदान की जानी थी। 2011-12 के दौरान दो चयनित जिलों (बस्तर: 4,486 लाभार्थी तथा दुर्ग: 784 लाभार्थी) में 5270 लाभार्थियों को ₹12.64 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। ब्लॉक अम्बिकापुर (जिला सरगुज) की

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		ग्रा.पं. घांघरी तथा नन्दमाली में 20 लाभार्थियो जो आ.आ. के तहत बन अधिकार पट्टा के प्राप्तकर्ता नहीं थे, को वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत ₹9.70 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सबंधित ग्रा.पं. द्वारा इन अयोग्य लाभार्थियों को की गई संस्वीकृति को रद्द करने के उनुरोध सहित तथ्य को ब्लॉक अम्बिकापुर के संज्ञान में लाया गया था। संस्वीकृति को रद्द करने के स्थान पर ब्लॉक अम्बिकापुर ने इन लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की। मु.का.आ. जि.प. अम्बिकापुर द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। भा.स. ने जि.प. बस्तर को 4,486 लाभार्थियों के संबंध में इं.आ.यो. सहायता की प्रथम किस्त के रूप में ₹24250 प्रति लाभार्थी की दर पर ₹10.88 करोड़ जारी किए। जि.प. बस्तर ने मार्च 2012 में लाभार्थियों को निधियों का अंतरण किया। इन लाभार्थियो को मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न किए जाने के कारण दूसरी किस्त जूलाई 2013 तक प्रदान नहीं की जा सकी थी जबकि नवम्बर 2012 में जि.प. बस्तर द्वारा इनकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप घरों के निर्माण में विलम्ब में हुआ।
2.	गुजरात	मत्रांलय ने 18597 घरों हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत पाँच चयनित जिलों (आनन्द, वांसकांथ, दाहौड़, सूरत तथा सुरेन्द्रनगर) को ₹58.71 करोड़ जारी (मार्च 2010, जुलाई 2012, आगस्त 2010 तथा जनवरी 2011) किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी चयनित जिले ने इन लाभार्थियों के लिए दी जाने वाली निधियों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया था जिन्हें योजना के अंतर्गत घर स्थल प्रदान किए गए थे, परंतु इन निधियों का उपयोग उन लाभार्थियो, जिनके पास पहले से ही भूमि थी, को घरों के निर्माण हेतु सहायता के भुगतान हेतु किया गया था। इसने भूमिहीन ग.रे.नी. के लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित किया।
3.	झारखण्ड	छः चयनित जिलों ने घरों के निर्माण हेतु ब्लॉको को ₹47.15 करोड़ (केन्द्रीय निर्गम ₹35.36 करोड़ तथा राज्य का अंश ₹11.79 करोड़) जारी किए जिसमें से तीन जिलों (गढ़वा, गोड्डा तथा पलामू) में निधियां मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रही। जबकि अन्य तीन चयनित जिलों (देवघर, पूर्वी सिंहभूम तथा रांची) में मार्च 2013 तक ₹15.44 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उन लाभार्थियो, जिनके पास पहले ही भूमि थी, का चयन किया गया था। इस प्रकार, ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों जिनके पास न तो कृषीय भूमि थी और न ही घर स्थल थे को आश्रय प्रदान करने का योजना का उद्देश्य विफल रहा था।
4.	ओडिशा	मत्रांलय ने ₹181.13 करोड़ (मार्च 2012) जारी किए थे तथा राज्य सरकार ने वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत 99,086 अतिरिक्त घरों के निर्माण के संबंध में प्रथम किस्त के रूप में 28 जिलों को ₹60.38 करोड़ (जुलाई 2012) का अपना बराबर का अंश जारी किया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की प्रत्याशा में अपने बराबर का अंश जारी किया (मार्च 2013) परंतु इसे मत्रांलय द्वारा जारी नहीं किया गया था। वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत वित्तीय सहायता सभी ग.र.नी. के लाभार्थियो के लिए उपलब्ध थी फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने सहायता प्रदान करने हेतु केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा अन्य परम्परागत बन निवासियो (वन अधिकार अधिनियम 2006

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		की मान्यता) का चयन किया। राज्य सरकार ने सरकारी भूमि अथवा अतिक्रमित भूमि को संक्रामित करके तथा भूमि की खरीद के भी माध्यम से अन्य योग्य ग.रे.नी. के परिवारों हेतु भूमि का आवटन करने की सम्भाव्यता का अनवेषण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया था कि पांच चयनित जिलों के आठ ब्लाको (नीलगिरी, बार्ककोट, तिलायबानी, दिग्पाहण्डी, छीकीटी, कोम्मा, सिनापली तथा जामनकीरा) द्वारा 3,432 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹8.40 करोड़ (केन्द्रीय तथा राज्य का अंश) की प्राप्ति के प्रति केवल 3,042 लाभार्थियों को ₹5.12 करोड़ की सहायता प्रदान की गई थी।
5.	राजस्थान	कुल ₹154.30 करोड़ (₹115.72 करोड़ का केन्द्रीय अंश तथा ₹38.58 करोड़ का राज्य का अंश) की प्रथम किस्त को अ.ज.जा. ग.रे.नी. के परिवारो, जिन्हे उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिलों में स्थायी इं.आ.यो. प्रतिक्षा सूची में शामिल किया गया था, हेतु 68,578 घरो (र45000 की दर पर पांच जिलों[2] मे 25447 घरो हेतु वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथा 13 चयनित जिलो[3] में 18 जिलों की संबधित जि.प. (अ.वि. कक्ष) को जारी (परवरी 2013) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां जनवरी 2014 तक संबधित जि.प. (अ.वि. कक्ष) के खाते में रही। इम प्रकार, 68578 लाभार्थी वासभूमि प्रोत्साहन के लाभ सं वचित थे।
6.	त्रिपुरा	वासभूमि योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य द्वारा कोई भूमि अधिप्राप्त नहीं की गई थी इसलिए परम्परागत वन निवासियों, जिन्हे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि का आबंटन किया गया था, को भा.स. की सस्वीकृति से इं.आ.यो. घर का आबंटन किया गया था. वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत जिला पश्चिम त्रिपुरा ने कुछ परिवर्तन के सिवाय केवल अ.ज.जा. लाभार्थियों को इं.आ.यो. घर प्रदान किए गय थे तथा लाभार्थियों का स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से चयन किया गया था। 2011-12 के दौरान राज्य में चार जि.ग्रा.वि.अ. को वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत ₹15.43 करोड़ की दूसरी किस्त मत्रांलय द्वारा जारी नहीं की गई थी जबकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए समय पर उचित रूप से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। परिणामस्वरूप, 7,072 घर लाभार्थियों द्वारा निधियों की अप्राप्ति के कारण अपूर्ण रहे। लाभार्थियों को प्रथम किस्त में जारी ₹17.14 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹15.43 करोड़ तथा राज्य का अंश ₹1.71 करोड़) का व्यय भी निष्फल रहा।
7.	पश्चिम बगांल	मत्रांलय ने वासभूमि प्रोत्साहन के अंतर्गत अतिरिक्त 22,310 घरों के निर्माण हेतु 2011-12

[2] बासंवारा: ₹21.66 करोड़, डूंगरपुर: ₹27.80 करोड़, प्रातगढ़: ₹12.96 करोड़, सिरोही: ₹3.31 करोड़ तथा उदयपुर: ₹11.45 करोड़

[3] बारन: ₹8.90 करोड़, भीलवाड़ा: ₹11.49 करोड़, बूंदी: ₹2.09 करोड़, चितौड़गढ़: ₹ 7.69 करोड़, दौसा: ₹3.00 करोड़, जालोर: ₹5.79 करोड़ कारौली: ₹5.15 करोड़ पाली: ₹6.83 करोड़, प्रतापगढ़: ₹4.62 करोड़, राजसमंद: ₹6.41 करोड़, सवाईमाधोपुर: ₹2.76 करोड़, टोंक: ₹4.11 करोड़ तथा उदयपुर: ₹28.20 करोड़

क.सं	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		के दौरान ₹39.54 करोड़ जारी किए। ब्लाक सूची-I(जिला वीरभूम) की ग्रा.पं. मल्लिकपुर में एक व्यर्थ भूमि[4] 'नीजो गृह नीजो भूमि योजना' के अंतर्गत 'पट्टा' के रूप मे 20 लाभार्थियों को आबंटन (2012-13) किया गया था. कुल 4.73 लाख की प्रथम किस्त उनको घरो के निर्माण के लिए जारी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के एक वर्ष के पश्चात भी भूमि पर घरो का निर्माण नहीं किया था क्योंकि भूमि गहरी थी तथा 31 कटाव के अधिमुख थी। ब्लॉक द्वारा राशि को वसूलने अथवा निर्माण आरम्भ करने हेतु उनको बाध्य करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नौ ग्रा.पं.[5] में 52 लाभार्थियों का स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची के बाहर से चयन किया गया था तथा घरों के निर्माण हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत उनको ₹14.94 लाख का संवितरण किया गया था। ब्लाक मयूरेश्वर-II में एक लाभार्थी, जिसने कालेश्वर ग्रा.पे. से पहले ही दो किस्त प्राप्त की थीं, का वासभूमि योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप मे चयन किया गया था तथा अनियमित रूप मे ₹22,500 अदा किए गए थे।

इसका आशय यह है कि मंत्रालय ने राज्यों को, जब भी उन्होंने बिना पर्याप्त सर्वेक्षण के अतिरिक्त् घरों हेतु अथवा अतिरिक्त आवश्यकता पर उनके पास डाटा उपलब्ध न होने पर भी मांग की थी, निधियां जारी की गई थी। जिसका परिणाम राज्यों के पास निधियों के संचयन में हुआ तथा बाद में उन्हें नियमित इं.आ.यो. को विपथित किया गया।

मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत तहसीलदार/सरपंच द्वारा लाभार्थियों को भू-अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करके वासभूमि स्थलों को नियमित किया गया था। 13 चयनित जिलों में से दो जिलों (जबलपुर तथा नरसिंहपुर) में पात्रता को ब्लॉक स्तर पर जि.प. द्वारा गठित दल के द्वारा किए सर्वेक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था, परंतु लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

हमने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि भू-अधिकार प्रमाण-पत्र वासभूमि के लाभार्थियों को जारी नहीं किया गया था। भू-अधिकार प्रमाण-पत्र गृह स्थल तथा कृषि भूमि वाले लाभार्थियों को जारी किया गया था।

---

[4] भूमी गहरी थी तथा इमे निर्माण हेतु उपयुक्त बनाने हेतु पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड की सहायता से ' फ्लाई ऐश' द्वारा भरा गया था।

[5] मल्लिकपुर(20), पुर्नोर्दोरपुर(7), रूपुर(6), सत्तौर(3), सारपलेन्हा-अलबांघा(2), रायपुर-सुपुर(2), बाहरी-पचेशोवा(3), कस्बा(4) सिंही(5)

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं की निम्न मामला अध्ययन में चर्चा की गई है

मामला अध्ययन: मध्य प्रदेश में वासभूमि प्रोत्साहन का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने ग.रे.नी. के भूमिहीन परिवारों हेतु 1,05,200 अतिरिक्त घरो के लिए प्रोत्साहन के रूप में मध्य प्रदेश के 48 जिलों को प्रथम किश्त (मार्च 2011) के रूप में 180 करोड़ जारी करने के पश्चात वासभूमि स्थलो के आवंटन का सत्यापन करने हेतु नवम्बर 2011 में शियोपूर, नरसिहंपूर तथा झाबूआ जिलों में रा.स्त.मॉ. नियुक्त करने का निर्णय लिया। रा.स्त.मॉ. ने यह दर्शाने हेतु कि वासभूमि स्थल स्पष्ट शीर्ष के साथ प्रदान किए थे, कोई निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किए बिना फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी बीच, ₹ 175.46 करोड़ की दूसरी किश्त सितंबर 2011 तथा मार्च 2013 के बीच की गई थी।

रा.स्त.मॉ. की अनिर्णायक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मत्रांलय ने शियोपूर, नरसिहंपूर एंव झाबूआ जिलों में एक विस्तृत जांच करने हेतु एक दल नियुक्त करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। दल मई 2012 में गठित किया गया था तथा इसने तीन जिलो अर्थात शियोपूर, नरसिहंपूर एवं झाबूआ, जिन्हे जांच हेतु मार्च 2012 में स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर अक्टुबर 2012 चार जिलों नामत इंदौर, देवास, शोहोर तथा भोपाल का दौरा किया। दल ने अक्टूबर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सुनिश्चित किया कि दल द्वारा दौरा किया/भेटं किया कोई भी लाभार्थी भूमिहीन नहीं था। वासभूमि योजना मध्य प्रदेश में कार्यान्वित नहीं की गई थी जैसा इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई थी। जिनके लिए वासभूमि स्थलों का आवंटन किया गया था। मंत्रालय ने फिर से फरवरी 2013 में 30,998 अतिरिक्त घरों हेतु वासभूमि प्रोत्साहन के अतंर्गत ₹ 53.18 करोड़ तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत 53,360 घरों हेतु ₹ 92.11 करोड़ की प्रथम किश्त जारी की।

परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने राज्य सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु संशोधित प्रस्ताव पेषित करने को कहा परंतु मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया था।

इस प्रकार, मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनियमित दावे के आधार पर दावे की प्रमाणिकता का सत्यापन किए बिना ₹ 500.85 करोड़ (₹ 180.10 करोड़ + ₹ 175.46 करोड़+₹ 145.29 करोड़) जारी किए। इसके अतिरिक्त, ₹ 320.75 करोड़ (₹ 175.46 करोड़ + ₹ 145.29 करोड़) की राशि राज्य द्वारा प्रेषित दावों के सत्यापन की अवधि के दौरान जारी की गई थी। यह मंत्रालय में कमजोर सत्यापन प्रणालियों तथा नियंत्रणों को दर्शाता है

मंत्रालय ने बताया कि वासभूमि प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उन राज्यों को जारी किए गए थे जिन्होंने या तो सरकारी भूमि के आवंटन द्वारा अथवा भूमि की खरीद/अधिग्रहण द्वारा इं.आ.यो. के घरों के निर्माण हेतु भूमिहीन ग्रामीण ग.रे.नी. को भूमि प्रदान की थी तथा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन का दावा किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि निधियां नियमित आवंटन जिसे आवंटन हेतु मूल मापदण्ड का अनुपालन करके किया गया था, से अधिक प्रोत्साहन के रूप में जारी की गई थीं।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि निधियों का आवंटन करने हेतु मापदण्ड (2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास कमी हेतु 75 प्रतिशत महत्व तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. के गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्व जैसा 2004-05 में योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था) का अनुपालन नहीं किया गया था तथा उतनी निधियां जारी की जो भी राज्य द्वारा मॉग की गई थी।

इस प्रकार, वासभूमि योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं की गई थी क्योंकि योजना के अंतर्गत जारी निधियां लगभग अप्रयुक्त रही थीं तथा भूमिहीन परिवारों को घर प्रदान करने का प्रत्याशित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।